न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री राहुल सैनी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
53/2021	दावा 88 RTA	24.06.2021	15.03.2022

नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. नवल किशोर जाति ब्राह्मण उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड नं. 05, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू तहसील व जिला चूरू

—मुख्य प्रतिवादी—

2. सुषमा बेवा स्व. नवल किशोर
3. मनोज कुमार पुत्र स्व. नवल किशोर
4. अरविन्द कुमार पुत्र स्व. नवल किशोर
5. विकास कुमार पुत्र स्व. नवल किशोर
6. सोनू पुत्र स्व. नवल किशोर
7. राजकुमारी पुत्री स्व. नवल किशोर

(क्र. 2 से 7) जाति ब्राह्मण उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड नं. 05, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)

—गौण प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थित —
1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी वादी
2. पैरोकार राज प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित।
3. अधिवक्ता श्री सिकन्दर खान प्रतिवादी सं. 2 से 7

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि कृषि भूमि ख.नं. 1026/540, 1028/575 तादादी क्रमशः 0.9232 हैक्टेयर, 1.8843 हैक्टेयर, कुल तादादी 2.8075 हैक्टेयर रोही रतननगर तहसील व जिला चूरू में वादी व गौण प्रतिवादी सं. 2 से 7 की संयुक्त खातेदारी की है जिस पर वादी व गौण प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त व खातेदारी चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि हमारी पैतृक है। वादी व गौण प्रतिवादीगण के दादा सत्यनारायण का जब देहान्त हुआ तब ग्राम पंचायत द्वारा उनका विरासतन इन्तकाल दर्ज करने के समय वादी के पिता का लाड़ प्यार से बोला जाने वाला नाम निहालचन्द दर्ज कर दिया गया जबकि वादी के दादा सत्यनारायण के नवलकिशोर के अलावा निहालचन्द [illegible] है तथा गांव रतननगर में भी इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वादी [illegible] वादीगण के पिता का असली नाम नवल किशोर है जो कि नगरपालि[illegible] 0.06.2021 से भी प्रमाणित होता है जिसमें वादी एवं गौण प्रति[illegible] नाम अंकित है। वा[illegible]पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र में नवल किशोर नाम दर्ज है तथा [illegible]येक दस्तावेज जैसे आ[illegible]कार्ड सं. 987314934217, मतदाता पहचान पत्र सं. WB/23/149/435403 व मृत्यु प्रमाण पत्र में उनका नाम नवल किशोर दर्ज है।

उप खण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:50 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकार्ड में वादी व गौण प्रतिवादीगण का नाम गलत दर्ज होने के कारण उनका स्वर्गवास होने के बाद राजस्व कर्मचारी द्वारा विरासतन इन्तकाल संख्या 1670 दज होकर दिनांक 05.02.2019 को स्वीकृत किया गया जिसमें वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के पिता का नाम पूर्व के राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन के अनुसार निहालचन्द ही दर्ज हो गया है जो आज तक गलत ही दर्ज चला आ रहा है। वादी के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र में सही नाम नवल किशोर दर्ज है जबकि जमाबन्दी में निहालचन्द दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादी व गौण प्रतिवादीगण के पिता का नाम निहालचन्द गलत दर्ज होने तथा वादी व गौण प्रतिवादीगण के अन्य समस्त दस्तावेजों में पिता का सही नाम नवल किशोर दर्ज होने के कारण वादी व गौण प्रतिवादीगण के.सी.सी. व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। इसलिए पिता का नाम दुरूस्त करवाने के लिये यह दावा पेश किया है। अतः वादी व गौण प्रतिवादीगण की ओर से दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादी व गौण प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 1026/540, 1028/575 तादादी कमशः 0.9232 हैक्टेयर, 1.8843 हैक्टेयर, कुल तादादी 2.8075 हैक्टेयर रोही रतननगर तहसील व जिला चूरू में वादी व गौण प्रतिवादी सं. 2 के पिता का नाम निहालचन्द के बजाय नवल किशोर दर्ज फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में सही नाम अंकन करने का आदेश प्रदान किया जावे।

वादी की ओर से प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुए एवं प्रतिवादी सं. 2 से 7 की ओर से श्री सिकन्दर खान एडवोकेट ने वकालतनामा एवं इकबालदावा पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर तहसीलदार, चूरू से नाम दुरूस्ती के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई।

गौण प्रतिवादी सं. 2 से 7 की ओर से पेश जवाबदावा में दावा के समस्त तथ्य स्वीकार करते हुए वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपने पति व पिता का नाम निहालचन्द के स्थान पर नवल किशोर दुरूस्त करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार, चूरू से पटवारी हल्का रतननगर की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अंकित आया कि आज दिनांक 10.03.22 को ग्राम रतननगर के वार्ड नं. 5 में पहुंच कर वादी नरेन्द्र कुमार के पिता के बारे में पूछताछ की, श्रीमान् जी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम निहालचन्द दर्ज है जो कि (वार्ड वासियों के बताये अनुसार) उनका आम बोलचाल या घर में लिया जाने वाला नाम था। दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं वादी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। तहसीलदार, चूरू की ओर से पेश मौका रिपोर्ट से नाम दुरूस्ती के सम्बन्ध में दावा में अंकित तथ्य सही पाये जाने पर तथा कोई आपत्ति नहीं पायी जाने पर अधिवक्ता वादी ने बहस का निवेदन किया जिस पर उपस्थित पक्षकारों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:50 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी ने अपनी बहस में दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए जाहिर किया कि वादी के दादा के स्वर्गवास के बाद दर्ज विरासतन इन्तकाल में वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के पिता का परिवार में आम बोलचाल में बोला जाने वाला नाम निहालचंद दर्ज हो गया तथा वादी एवं गौण प्रतिवादीगण पिता का स्वर्गवास होने के बाद जो विरासतन इन्तकाल दर्ज हुआ उसमें वादी एवं गौण प्रतिवादीगण पिता का नाम निहालचन्द दर्ज कर दिया गया जबकि वादी एवं गौण प्रतिवादीगण पिता का सही व दस्तावेजी नाम नवल किशोर है। राजस्व रिकार्ड में वादी एवं गौण

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रतिवादीगण पिता का नाम गलत दर्ज होने से उन्हें केसीसी, कृषि मुआवजा व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा राजकीय कार्यों में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादी ने वादगत कृषि भूमि में अपने पिता के गलत दर्ज नाम को दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादीगण ने अनापत्ति प्रकट करते हुए अपने पति व पिता का नाम दुरूस्त करने की मांग की है। अतः दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी एवं गौण प्रतिवादीगण पिता का नाम निहालचन्द के स्थान पर नवल किशोर अंकित करने का आदेश फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने अपनी संक्षिप्त बहस में कथन किया कि वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि में वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के पिता व पति का नाम उसके दस्तावेजों के अनुसार किया जाता है, तो राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए दावा पर कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता गौण प्रतिवादी सं. 2 से 7 ने निवेदन किया कि दावा स्वीकार फरमाया जाकर वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी एवं गौण प्रतिवादी सं. 2 से 7 के पति व पिता का नाम निहालचन्द के स्थान पर नवल किशोर अंकित करने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ख.नं. 1026/540, 1028/575 कुल तादादी 2.8075 हैक्टेयर रोही ग्राम रतननगर में वादी एवं गौण प्रतिवादी सं. 2 से 7 के पिता व पति का नाम निहालचन्द दर्ज है जिसको वादी एवं गौण प्रतिवादीगण दुरूस्त करवाना चाहते हैं। नामान्तरण सं. 1670 में भू–अ.नि. की रिपोर्ट में भी नवलकिशोर के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर वादी के पिता निहालचन्द के वारिसान के नाम यह नामान्तरण दर्ज किया जाना अंकित है। वादी के पिता के आधार कार्ड सं. 987314934217, मतदाता पहचान पत्र सं. WB/23/149/435403, राशन कार्ड सं. 951 व मृत्यु प्रमाण पत्र में उनका नाम नवल किशोर पुत्र सत्यनारायण दर्ज है।, वादी की माता सुषमादेवी के नाम से बने राशन कार्ड सं. 00104 में पति का नाम नवल किशोर अंकित है। वादी के आधार कार्ड सं. 287041533011 व पेन कार्ड सं. EWRPK3376J में पिता का नाम नवल किशोर अंकित है। वादी ने वादगत कृषि भूमि में भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू एवं सह खातेदारों को प्रतिवादी सं. 1 से 7 पक्षकार बनाया है जिन्होंने दावा के सम्बन्ध में कोई आपत्ति पेश नहीं की है। तहसीलदार, चूरू द्वारा पेश रिपोर्ट में दावा में अंकित तथ्य सही पाये गये हैं। पैरोकार राज ने बहस में कथन किया है कि वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के पिता व पति का नाम उनके दस्तावेजों के अनुसार किया जाता है, तो राजस्थान सरकार को किसी प्रकार की क्षति होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए दावा पर कोई आपत्ति नहीं है। गौण प्रतिवादीगण ने भी अपने पति व पिता का नाम निहालचन्द के स्थान पर नवल किशोर दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:50 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली एवं पेश दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 1026/540, 1028/575 कुल तादादी 2.8075 हैक्टेयर रोही ग्राम रतननगर में वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के पिता व पति का नाम निहालचन्द दर्ज है जिसको वादी दुरूस्त करवाना चाहता है। वादी द्वारा पेश दावा एवं दावा के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि वादी एवं गौण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की पैतृक कृषि भूमि है। राजस्व रिकार्ड में वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के पिता व पति का

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

नाम निहालचन्द गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि इनके समस्त दस्तावेजों में सही नाम नवल किशोर दर्ज है। राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजों में दर्ज पिता व पति के नामों में भिन्नता होने से वादी एवं गौण प्रतिवादीगण को कठिनाई होना प्रत्यक्ष है। वादी एवं गौण प्रतिवादीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार हैं इसलिए उन्हें राजस्व रिकार्ड में अपने पिता व पति के गलत दर्ज नाम को अपने दस्तावेजों के अनुरूप दुरूस्त करवाने का अधिकार है। वादी एवं गौण प्रतिवादीगण के पिता व पति का नाम दुरूस्त किये जाने से राज्य सरकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना भी परिलक्षित नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजों एवं तहसीलदार, चूरू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर दावा वादी स्वीकार करने योग्य है।

निर्णय

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 1026/540, 1028/575 कुल तादादी 2.8075 हैक्टेयर रोही ग्राम रतननगर में वादी व गौण प्रतिवादी सं. 3 से 7 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 2 के पति का नाम निहालचन्द के स्थान पर नवल किशोर दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

नरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. नवल किशोर जाति ब्राह्मण उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड नं. 05, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू तहसील व जिला चूरू

–मुख्य प्रतिवादी–

2. सुशमा बेवा स्व. नवल किशोर
3. मनोज कुमार पुत्र स्व. नवल किशोर
4. अरविन्द कुमार पुत्र स्व. नवल किशोर
5. विकास कुमार पुत्र स्व. नवल किशोर
6. सोनू पुत्र स्व. नवल किशोर
7. राजकुमारी पुत्री स्व. नवल किशोर

जाति ब्राह्मण उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड नं. 05, रतननगर तहसील व जिला चूरू (राज.)

–गौण प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. 53 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज एवं श्री सिकन्दर खान एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि ख.नं. 1026/540, 1028/575 कुल तादादी 2.8075 हैक्टेयर रोही ग्राम रतननगर में वादी व गौण प्रतिवादी सं. 3 से 7 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 2 के पति का नाम निहालचन्द के स्थान पर नवल किशोर दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार दुरूस्ती करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 15 माह मार्च सन् 2022 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:21:50 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) चूरू